प्रेस नोट **दिनांक 15.04.2026**

लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम के, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनुप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.04.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर इन्दारा मोड़ मझवारा से मु0अ0स0 83/2026 धारा 87, 137(2), बीएनएस में वांछित अभियुक्त मुरली पुत्र गुलाब सोनकर निवासी नियामपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मुरली पुत्र गुलाब सोनकर निवासी नियामपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

.

पंजीकृत अभियोग अभियोग-

1. मु0अ0सं0 107/26 धारा 87,137(2) बी.एन.एस थाना घोसी

आपरेशन क्लीन' अभियान के अन्तर्गत थाना घोसी पर मुकदमों से सम्बन्धित 20 अदद दो पहिया वाहनों की नीलामी कराकर कुल ₹ 69650 /- (उनहत्तर हजा छः सौ पचास रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई-

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में नायब तहसीलदार घोसी श्री अभिषेक वर्मा , नि0अ0 श्री मोती लाल पटेल, प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आज दिनांक 15.04.2026 को थाना घोसी पर विभिन्न जनपदों से आये कुल 21 ट्रेडर धारको के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 20 अदद दो पहिया वाहनों का नीलामी कराकर जीएसटी सहित कुल ₹ 69650 /- (उनहत्तर हजार छः सौ पचास रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 10,000/- (दस हजार) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना

सरायलखन्सी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 10,000 /- (दस हजार) रुपये पीड़ित पवन यादव पुत्र श्री नगीना यादव निवासी इन्दरपुर भलया थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की कुल 10,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 15.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं जनपद के समस्त थानो द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग की गयी।

अभियान के अंतर्गत 45 टीम गठित कर जनपद के 45 स्थानों पर बदल बदलकर 1200 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 203 वाहनों को विभिन्न धारोओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना दक्षिण टोला पर मुकदमें में बरामद अबैध अंग्रेज शराब 774 पेटी कुल मात्रा 6762 ली0 का कराया गया विनिष्टीकरण -

आपरेशन क्लीन आभियान के तहत पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अबैध शराब का कराया जा रहा विनिष्टीकरण,शराब विनिष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक15.04.2026 को नायब तहसीलदार सदर मऊ श्री निशान्त मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर कृष राजपूत व थानाध्यक्ष थाना दक्षिण टोला की उपस्थिति में थाना दक्षिण टोला में कुल 01 अभियोंग से संबंधित अबैध मादक पदार्थ (शराब) कुल कुल 774 पेटी कुल मात्रा 6762 ली0) गिराकर विनिष्टीकरण कराया गया ।

जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से ताश के पत्ते फड़ के 57900 व जामा तलाशी के 7100 रुपये बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी महोदय मधुबन, मऊ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक थाना मधुबन के कुशल नेतृत्व में देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर ककराडीह गाँव के बाहर सागौन के पेड के नीचे से मु.अ.स. 111/2026 धारा 13 जुआ एक्ट में अभियुक्तगण चन्द्रमा राय पुत्र स्व जगदीश राय निवासी सूरजपुर थाना दोहरीघाट व अजीत कुमार पुत्र सुरेन्द्र मल्ल निवासी उसरी थाना मधुबन जनपद मऊ को जुँआ खेलते हुए गिरफ्तार तथा कब्जे से ताश के पत्ते फड़ के 57900 व जामा तलाशी के 7100 रुपये बरामद कर अभियोंग पंजीकृत किया गया ।

पकड़े गये अभियुक्त का नाम पताः–

1. चन्द्रमा राय पुत्र स्व जगदीश राय सा0 0सूरजपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 50 वर्ष
2. अजीत कुमार पुत्र सुरेन्द्र मल्ल सा उसरी थाना मधुबन जनपद मऊ 0उम्र करीब 44 वर्ष

बरामदगीः–

पड के 57900 रूपये माल फड़ , जामा तलाशी के 7100 रू0 कुल 65000रू0 व 52 अदद तास के पत्ते